२

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष–आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 824–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.11.12 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 297/निगरानी/10–11.

जयबहादुर सिंह पिता श्री प्रधुम्न सिंह

निवासी ग्राम शुक्ला तहसील रघुराज नगर

जिला सतना म0प्र0 ---- आवेदक

विरूद्ध

1– राजेन्द्र सिंह तनय स्व0 श्री कृपाल सिंह

2– रावेन्द्र सिंह तनय स्व0 श्री कृपाल सिंह

3– नारेन्द्र सिंह तनय स्व0 श्री कृपाल सिंह

4– बृजेन्द्र सिंह तनय स्व0 श्री कृपाल सिंह

5– कमलेन्द्र सिंह तनय स्व0 श्री कृपाल सिंह

सभी निवासीगण ग्राम शुक्ला तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र

--- अनावेदकगण

आवेदक के अधिवक्ता श्री जसराम विश्वकर्मा

अनावेदक 1 से 4 के अधिवक्ता श्री विपिन तिवारी

अनावेदक –5 को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दी

: आ दे श ::

(आज दिनांक 6.11.2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 297/निगरानी/10–11 में पारित आदेश दिनांक 21.11.12 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2 प्रकरण का सांराश यह है कि स्व0 कृपाल सिंह की दो पत्नियां थीं । एक पत्नी जय राजू देवी से गैर निगराकार क्र0 1 से 4 राजेन्द्र, रावेन्द्र, नरेन्द्र एवं बृजेन्द्र पुत्र हुये तथा दूसरी पत्नी गायत्री देवी से

निगराकार के पिता प्रधुम्न एवं गैर निगराकार क0 5 कमलेन्द्र पुत्र हुये । प्रकरण में व्यवहार बाद क्रमांक 12अ/83 में पारित आदेश दिनांक 9.8.83 द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगराकार के पिता प्रधुम्न के पक्ष में पैतृक संपत्ति का 1/8 होने का निर्णय हुआ। व्यवहार बादा क्रमांक 65अ/94 में पारित आदेश दिनांक 5.2.01 के पृष्ठ 19 पर लिखे पैरा 20(1) द्वारा प्रधुम्न सिंह के वारिसों के हिस्से का निर्धारण किया गया है । इस निर्णय को सिविल अपील क्रमांक 45/अ/2001 के आदेश दिनांक 10.4.02 से यथावत रखा गया है ।

3 प्रकरण में विचारण न्यायालय तहसीलदार रघुराजनगर द्वारा उनके प्रकरण क्रमांक 40/अ-6/2007-08में आदेश दिनांक 23.9.09 को पारित किया गया। इस न्यायालय के निगराकार इस आदेश की बहाली के लिये राजस्व मण्डल के समक्ष इस निगरानी में आये हैं ।

4 तहसीलदार के उपरोक्त आदेश दिनांक 23.9.09 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष अपील हुई जिसमें प्रकरण क्रमांक 08/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 15.11.10 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया गया । इसके विरूद्व अपर कलेक्टर सतना के समक्ष अपील हुई जिसमें प्रकरण क्रमांक 45–निगरानी /10–11 में पारित आदेश दिनांक 21.1.11 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधि संगत पाते हुये अपील निरस्त की गई । इसके विरूद्व अपर आयुक्त रीवा के समक्ष निगरानी प्र0क0 297/10–11 दायर हुआ जिसमें पारित ।आदेश दिनांक 21.11.11 द्वारा अपर कलेक्टर का आदेश यथावत रखते हुये निगरानी खारिज की गई ।

5 मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गये । निगराकार अधिवक्ता वही बिन्दु कहे गये जो निगरानी में लिखे गये हैं जिन्हे यहां दोहराया नहीं जा रहा है किन्तु विचार में लिया जा रहा है । गैरनिगराकार अधिवक्ता

द्वारा वर्ष 1983 की सिविल न्यायालय की डिक्री का संदर्भ लेते हुये उसके आधार पर निर्णय लेने का अनुरोध किया एवं यह भी कहा कि यदि निगराकार के पास अन्य ऐसी कोई डिक्री आदि हो जिसके आधार पर वह अपनी मांग समर्थित कर सकते हों तो प्रस्तुत कर दें ।

6 मेरे द्वारा प्रकरण के समस्त अभिलेखों एवं उपर लिखे गये सिविल एवं राजस्व न्यायालयों के आदेशों का बारीकी से अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया गया । मैं इस क्रम में अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष अपील हुई जिसमें प्रकरण क्रमांक 08/अपील/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 15.11.10 का संदर्भ लेना चाहूंगा क्योंकि यह आदेश प्रकरण से संबंधित समस्त सुसंगत बिन्दुओं को कुशलतापूर्वक समराइज़ करते हुये एक बोलता हुआ और सही निर्णय है। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश में वर्णित तथ्यों को मैं यहां पुनः उद्धृत नहीं कर रहा हूँ, किन्तु उन्हें राजस्व मण्डल के इस

आदेश के भाग के रूप में देखा जा सकता है। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश को अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा उनके उपर लिखे आदेशों के माध्यम से स्थिर रखा गया है।

7 अपर आयुक्त, अपर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी के निर्णयों में समवर्ती निष्कर्ष होने, तथा इन निष्कर्षो के व्यवहार न्यायालयों के उपर लिखे अलग अलग आदेशों द्वारा समर्थित हुये होने के प्रकाश में एवं उनके राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होने के तथ्य के आधार पर, मैं अपर आयुक्त, अपर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी के निर्णयों मैं किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता एवं उनको यथावत रखने का निर्णय लेता हूँ । साथ ही यह निगरानी प्रकरण खारिज करते हुये समाप्त करता हूँ ।

पक्षकार सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों ।

प्रकरण दाखिल दर्ज हो।

आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर